न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 460 / 2024

अनवान : –

1. नितेश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. संतरो देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
4. कलावती पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
5. बादो पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. राममूर्ति देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 91/81 के कुल खसरे 362/1 की कुल तादादी 4.5530 है0 भूमि वादीगण की दादी मृतका धनकोरी पत्नी इन्द्राज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण की दादी धनकोरी पत्नी इन्द्राज का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 के अलग से भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 7 जो कि वादीगण की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्ति[illegible]सने अपने भतीजों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया[illegible] भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग भूमि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर [illegible]माबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 91/81 के कुल खसरे 362/1 की कुल तादादी 4.5530 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:35:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण धनकोरी, वारिसान प्रमाण पत्र बहक धनकोरी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण की दादी धनकोरी पत्नी इन्द्राज का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 7 जो कि वादीगण की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती प्रतिवादीया संख्या 1 ता 7 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग भूमि में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:59 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 91/81 के कुल खसरे 362/1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल तादादी 4.5530 है0 भूमि वादीगण की दादी मृतका धनकोरी पत्नी इन्द्राज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केशर धनकोरी पत्नी इन्द्राज के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है धनकोरी पत्नी इन्द्राज का देहान्त हो चुका है तथा धनकोरी पत्नी इन्द्राज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है", वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक धनकोरी पत्नी इन्द्राज के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 91/81 के कुल खसरे 362/1 की कुल तादादी 4.5530 है0 भूमि वादीगण की दादी मृतका धनकोरी पत्नी इन्द्राज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में धनकोरी पत्नी इन्द्राज का नाम कलजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 460/2024

अनवान : –

1. नितेश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. संतरो देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कमला पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
4. कलावती पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
5. बादो पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. विनोद देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. राममूर्ति देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 460 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/6/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 91/81 के कुल खसरे 362/1 की कुल तादादी 4.5530 है0 भूमि वादीगण की दादी मृतका धनकोरी पत्नी इन्द्राज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में धनकोरी पत्नी इन्द्राज का नाम कलजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:59 IST
Reason: SelfAttested